रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2014/आश्विन 18, 1936
No. 239] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2014/ASVINA 18, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2014

सं. 16/5/1992-इंफ्रा(खण्ड-II).—भारत सरकार ने दिनांक 20.03.1992 के संकल्प सं 16/5/1992 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया है, नामत:—

उक्त संकल्प में,

(क) प्रस्तावना में, 'इनलैंड कन्टेनर डिपो और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (आई.सी.डी./सी.एफ.एस) शब्दों को " इनलैंड कंटेनर डिपो (आई.सी.डी. कन्टेनर फ्रेटस्टेशनों (ए.एफ.एस)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) पैरा 1 में, क्रम सं(V) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियों को शामिल किया जाएगा, नामत: "

V (क) नागर विमानन मंत्रालय के प्रतिनिधि - सदस्य "

(ग) पैरा 2 में,

(i) उप पैरा (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,

"(1) आई.सी.डी, सी.एफ. एस तथा ए.एफ. एस की स्थापना, प्रचालन तथा प्रबंधन के लिए अनुमोदन देने हेतु सभी आवेदन पत्रों पर विचार करना ।

(ii) उप- पैरा (3) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

" (3) सभी नए आई सी डी, सी.एफ.एस. और ए.एफ.एस तथा सहायक सेवाओं के अनुमोदन हेतु सी.एफ.एस. अथवा ए.एफ.एस. के कुशलता पूर्वक निर्माण, संचालन और प्रबंधन हेतु उद्यमियों के प्रमाण पत्रों/वित्तीय क्षमता स्थापित करने हेतु मानदंडों एवं दिशा निर्देशों को निर्धारित करना।

(iii) उप पैरा (4) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

" (4) आई.सी.डी.,सी.एफ.एस. और ए.एफ.एस. के निर्माण में होने वाली प्रगति की आवधिक समीक्षा करना और समयबद्ध आधार पर सुधारात्मक उपाय करना

(घ) पैरा 3 में

(i) उप पैरा (i) के लिए,

निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(i) आई सी डी, सी एफ एस और ए एफ एस की स्थापना के लिए अनुमोदन देने पर विचार करना उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करना ।

(ii) उप-पैरा (iii) में मद (ख) एवं (ग) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

(ख) अगर यह स्पष्ट होता है कि आई सी डी, सी एफ एस या ए एफ एस कि निरन्तरता सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल होगी या

(ग) अगर आई सी डी, सी एफ एस या ए एफ एस उद्यमी को प्रभावी किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया जाता है तो

आर.राजाकन्नू, अवर सचिव

नोट : मूल संकल्प सं. 16/51992-इन्फ्रा-I दिनांक 20-03-1992 को भारत के राजपत्र, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित की गई थी और संकल्प संकल्प सं. 16/51992-इन्फ्रा-I दिनांक 19-09-2011 द्वारा संशोधित की गई ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

RESOLUTION

New Delhi, the 10th October, 2014

No.16/5/1992-Infra-I (Vol-II).—The Government of India has decided to make the following amendments further to amend the Resolution No.16/5/1992.Infra.I, dated 20-03-1992, namely:—

In the said Resolution,—

(a) in the preamble, for the words "Inland Container Depots and Container Freight Stations (ICDs/CFSs)"; the words, "Inland Container Depots (ICDs), Container Freight Stations (CFSs) and Air Freight Stations (AFSs)" shall be substituted;

(b) in para 1, after serial number (v) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"v (a) Representative of Ministry of Civil Aviation — Member";

(c) in para 2, -

(i) for sub-para (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) To consider all applications for grant of approval for setting up, operation and management of ICD, CFS and AFS.";

(ii) for sub-para (3), the following shall be substituted, namely :—

" (3) To spell out the parameters and guidelines for the approval of all new ICDs, CFSs and AFSs, and ancillary services and for the establishment of credentials/ financial strength of the entrepreneurs in erecting, operating and managing the ICDs, CFSs or AFSs on an efficient basis.";

(iii) for sub-para (4), the following shall be substituted, namely :—

" (4) To review periodically the progress in creation of ICDs, CFSs and AFSs, and take corrective measures on time bound basis.";

(d) in para 3,—

(i) for sub-para (i), the following shall be substituted, namely :—

" (i) to consider and approve or refuse to grant an approval for setting up of ICDs, CFSs and AFSs;";

(ii) in sub-para (iii), for items (b) and (c), the following shall be substituted, namely :—

" (b) if it is satisfied that the continuance of the ICD, CFS or AFS would be prejudicial to public interest; or

(c) if the ICD, CFS or AFS enterprise is convicted of an offence under the provisions of any Act in force.".

R. RAJAKANNU Under Secy.

Note.—The principal Resolution No. 16/5/1992.Infra.I dated the 20-3-1992 was published in Part I, Section I of the Gazette of India and amended vide Resolution No. 16/5/92-Infra-I dated 19-09-2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.